

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, गोड़डा।

आर0ई0आर0 वाद सं0-15/2014-15

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट

बनाम

सुरेन्द्र भगत

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश

आन्ध्रप्रदेश

आदेश

अमिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष रखा गया है।

अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट के पत्रांक- 492/रा०, दिनांक-14/11/2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है कि मौजा- पोड़ैयाहाट, थाना नं०- 121, खाता सं०-75, खेसरा सं०-1585, हल्का सं०-07, रकवा-00-04-00 धुर जमीन जो खतियान में मूल जमाबंदी रैयत मानसिंह मुर्मू वो मरांग मुर्मू वो जटा मुर्मू वो गरम्भ मुर्मू वो राम मुर्मू पै-दशरथ मुर्मू साकिन- पोड़ैयाहाट, जिला-गोड़डा के नाम से दर्ज है। अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुरेन्द्र भगत, पिता- हृदय नारायण भगत द्वारा खेसरा सं०-1585 रकवा-00-04-00 धुर आदिवासी भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिया गया है।

अवैध दखलकार को नोटिश किया गया। सुरेन्द्र भगत, पिता-हृदय नारायण भगत, ग्राम- पोड़ैयाहाट, जिला-गोड़डा द्वारा वकालतन हाजरी दिया गया है।

सुरेन्द्र भगत, पिता-हृदय नारायण भगत द्वारा अपना पक्ष रखा गया है कि 00-04-00 (कार कट्टा) पर 1930 से दखल चला आ रहा है एवं घर बनाकर शांतिपूर्वक निवास करते हैं। संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 के लागू होने के 12 वर्ष पूर्व से किसी व्यक्ति का दखल है तो उसे उच्छेद नहीं किया जा सकता है तथा उसका दखल कब्जा वैद्य माना जायेगा। उनके द्वारा संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुलूप नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, पोड़ैयाहाट अवैध रूप से दखल किए गए भूमि का उच्छेद कर वर्तमान जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड़डा।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
गोड़डा।